भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †3718

दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

केन्द्रीय सुरक्षाधीन

†3718. श्री हसनैन मसूदीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गृह मंत्रालय के वीआईपी सुरक्षा अनुभाग का कार्यकरण क्या है;

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में केन्द्र सरकार से सुरक्षा प्राप्त लोगों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे सुरक्षा प्राप्त लोगों को पीएसओ, पुलिस एस्कॉर्ट, वाहन, क्यूआरटी, सुरक्षित आवास आदि की सुविधएं प्रदान की जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त सुरक्षा प्राप्त लोगों पर सरकार द्वारा कितना वार्षिक व्यय किया जाता है; और

(ङ) जम्मू और कश्मीर राज्य के सभी संसद सदस्यों को केन्द्रीय सुरक्षा प्राप्त श्रेणी के रूप में अधिसूचित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): खतरे की आशंका के मूल्यांकन के आधार पर महत्वपूर्ण संस्थापनाओं और व्यक्तियों की सुरक्षा से संबधित मामले मुख्य रूप से वीआईपी सुरक्षा अनुभाग द्वारा निपटाए जाते हैं।

(ख) और (ग): संविधान के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार की है।

केंद्र सरकार भी जम्मू और कश्मीर के लोगों सहित किसी भी व्यक्ति को खतरे के आवधिक मूल्यांकन के आधार पर सुरक्षा कवर प्रदान करती है। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती है। पीएसओ, पुलिस एस्कॉर्ट वाहनों आदि जैसे सुरक्षा संबंधी घटक सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रदान किये जाते हैं।

(घ): इस प्रकार का ब्यौरा केंद्रीकृत रूप से संकलित नहीं किया जाता है क्योंकि सुरक्षा संबंधी घटकों का लेखा-जोखा संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के बजट शीर्षों के तहत रखा जाता है।

(ड.): संसद सदस्यों सहित व्यक्तियों को खतरे के मूल्यांकन के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जाती है।

******